पीठासीन अधिकारी– श्री केआर0 चौड़ आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
38/2016/वाद पत्र	18.10.2016	16.05.2017

उनवान

अंजना पत्नि दीपक कुमार सेठी (महाजन) नि0 कोठियॉ तह0 फूलियाकलां
– वादिया

बनाम

1–4 रघुनाथ, नारायण, रामधन, महादेव पिता छोगा जाट नि0 दौलतपुरा
5–6 महावीर, प्रहलाद पिता खाना जाट नि0 दौलतपुरा तह0 फूलियाकलां
7– छाउ पत्नि खाना जाट नि0 दौलतपुरा तह0 फूलियाकलां
8– लाली पत्नि कालूराम जाट नि0 बगराई तहसील भिनाय जिला अजमेर
9– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा : अधिवक्ता वादिया

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां के खाता संख्या 38 कुल किता 12 रकबा 5.33 है0 मे खातेदारान प्रतिवादीगण नं0 1, 2, 3, 4 का 4/5 हिस्सा प्रतिवादी नं0 5 व 6 का व 7 का 3/100 हिस्सा, प्रतिवादी नं0 5 व 6 का हकत्याग से 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 8 का 9/100 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5 व 6 ने अपने हक हिस्से मे से 1/10 हिस्से का बिकाव वादिया को किया इसलिए उक्त आराजीयात मे वादिया का 3/50 हक हिस्सा निहित है। वादिया अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है लेकिन वादिया खातेदारी आराजी संयुक्त दर्ज होने के कारण अपने हक हिस्से की आराजीयात मे अच्छी लागत लगाकर अधिक विकसित नही कर पा रही है। इसलिये वादिया अपने हिस्से की आराजीयात का बंटवाड़ा करना चाहती है अतः वादिया के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अनुसार जारी फरमाई जावे कि वाद के पेरा नं0 1 मे वर्णित कुलिया आराजीयात मे वादिया के 3/50 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 15.12.2016 को प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 8 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण जवाब दावा पेरोकार सरकार के नियत किया गया। दिनांक 06.04.2017 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण मे राजकीय हित प्रतीत नही होता। प्रकरण साक्ष्य वादिया के नियत किया गया। दिनांक 27.4.2017 वादिया का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है।

अभिभाषक वादिया को मौके पर सुना गया जिन्होने अपनी बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजीयात मे उसका 3/50 हक हिस्सा निहित है इसी अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा किया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 38 कुल किता 12 रकबा 5.33 है0 वादिया का 3/50 हक हिस्सा अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को केम्प ईटड़िया पर सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला–भीलवाड़ा